(ङ) क्या सरकार उपभोक्ता संरक्षण केन्द्र, सिवान (बिहार) के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है जो व्यवसायी/विक्रेता संरक्षण केन्द्र की तरह कार्य कर रहा है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति तब तक इस अधिनियम के परिकल्पित प्रतितोष एजेन्सियों के पास कोई शिकायत नहीं दायर कर सकता है जब तक कि वह किसी प्रतिफल के लिए कोई वस्तु नहीं खरीदता है। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कार्यक्षेत्र में अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही करना नहीं आता है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) इस समय ऐसी शिकायतें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के तहत दर्ज कराई जा सकती हैं।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संसद सदस्यों से प्राप्त पत्र

1457. **चौधरी हरमोहन सिंह** :—क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें गत छः मास के दौरान संसद-सदस्यों से कितने पत्र/अभ्यावेदन /ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें पन्द्रह दिन के अन्दर पावती भेज दी गई और कितने मामलों में अन्तिम उत्तर अब तक नहीं भेजा गया है ;

(ग) पन्द्रह दिन के अन्दर पावती और तीन मास के अन्दर अन्तिम उत्तर न भेजने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो पावती और अन्तिम उत्तर विलम्ब से भेजने, अन्तिम उत्तर न भेजने और संसद-सदस्यों को गुमराह करने के दोषी पाए गए हैं तथा उनको क्या सजा दी गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) गत 6 महीनों के दौरान मंत्रालय में संसद सदस्यों से कुल 122 संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) लगभग सभी मामलों में पावतियां तत्काल भेज दी गई थीं। प्राप्त हुए 122 संदर्भों में से (2) का उत्तर पहले ही भेजा जा चुका है। शेष मामलों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षे प्रशासनों से सूचना प्राप्त न होने के कार उत्तर नहीं भेजा जा सका है।

(घ) इस सम्बन्ध में विलम्ब के लिए किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है।

1458. [*Transferred to 14th May*, 1993]

Sale of goods without BIS Certificate

1459. SHRI V. HANUMANTHA RAO : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the companies are selling their products by putting ISI Mark on them without getting any certificate from the Bureau of Indian Standards;

(b) if so, the number of such cases detected so far State-wise; and

(c) what action has been taken in regard thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF

STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) Some instances of misuse of ISI mark have been brought to the notice of the Bureau of Indian Standards.

(b) and (c) Details are indicated in the enclosed statement.

Statement

Number of Cases regarding unauthorized use of ISI Mark and action taken

State/Union Territory	1991-92		1992-93	
	No. of Cases	Action Taken	No. of Cases	Action Taken
Andhra Pradesh	2	Legal proceedings have been launched	1	Legal proceedings have been launched
Delhi	6		2	
Rajasthan	1		1	
Uttar Pradesh	1		2	
Madhya Pradesh	1		—	Investigations are in progress
Gujarat	1	Case closed after investigation	—	
Maharashtra	—		1	
Bihar	—		1	
Haryana	—		1	
TOTAL	12		9	

Powers and privileges of consumer courts

1460. SHRI KAMAL MORARKA : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2298 given in the Rajya Sabha on the 15th March, 1993 and state :

(a) what is the status of the consumer courts; and

(b) whether the consumer courts have been given the powers and privileges of a First Class Magistrate if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) The consumer Courts are the quasi-judicial machinery established under the Consumer Protection Act 1986;

(b) Under Section 13(4) of the Consumer Protection Act, 1986, the District Forums has the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely :—

(i) the summoning and enforcing the attendance of any defendant or witness and examining the witness on oath;

(ii) the discovery and production of any document or other material object producible as evidence;

(iii) the reception of evidence on affidavits;

(iv) the requisitioning of the report of the concerned analysis or test from the appropriate laboratory or from any other relevant source;